न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री भंवरलाल जनागल, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 184/2017

वादिया	बनाम	प्रतिवादीगण
1. गीतादेवी बेवा मोहनलाल जाति–माली (भाटी), निवासी–जैतारण, तहसील–जैतारण, जिला–पाली (राज.)		1. हरजी पुत्र जगनाथ 2. मदनलाल पुत्र जगनाथ 3. चम्पादेवी पत्नी रतनलाल 4. दिनेश पुत्र रतनलाल 5. सुरेश पुत्र रतनलाल 6. मोहनलाल पुत्र पुनाराम फौत के कायम मुकाम 1. नन्दकिशोर पुत्र मोहनलाल 2. रामनिवास पुत्र मोहनलाल 3. रमेश पुत्र मोहनलाल 4. रामस्वरूप पुत्र मोहनलाल 7. माधुलाल पुत्र गोपालराम 8. रूघाराम पुत्र गोपालराम 9. बद्रीलाल पुत्र गोपालराम 10. लाबुराम पुत्र गोपालराम 11. सुन्दरी बेवा भंवरलाल 12. बाबुलाल पुत्र भंवरलाल 13. सोहनलाल पुत्र भंवरलाल फौत के कायम मुकाम 1. कमला बेवा सोहनलाल 2. शिवरतन पुत्र सोहनलाल 3. संगीता पुत्री सोहनलाल 4. दिनेश पुत्र सोहनलाल 14. पानीदेवी बेवा अन्नाराम 15. रामेश्वरलाल पुत्र अन्नाराम 16. रामप्रकाश पुत्र अन्नाराम 17. श्रीलाल पुत्र जस्साराम 18. नरेन्द्रसिंह पुत्र जस्साराम 19. रामप्रकाश पुत्र जस्साराम 20. राजूराम पुत्र जस्साराम 21. कमला पुत्री जस्साराम 22. चम्पा पुत्री जस्साराम 23. राजु पुत्री जस्साराम 24. जड़ाव बेवा जस्साराम 25. लाबुराम पुत्र घमण्डाराम 26. घनश्याम पुत्र मदनलाल 27. सम्पत पुत्र मदनलाल 28. कंचनदेवी पुत्री मदनलाल 29. संतोष पुत्री मदनलाल 30. चिमुड़ी देवी बेवा मदनलाल जातियान– माली, निवासीगण–जैतारण तहसील–जैतारण, जिला–पाली (राज.) 31. तहसीलदार, जैतारण तहसील–जैतारण, जिला–पाली 32. अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.15/09/2017

उपस्थितः. 1. श्री चुतराराम, अधिवक्ता, वादी।

2. श्री भगवतीप्रसाद पटेल अधि0प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

-:: निर्णय ::- दिनाँकः- 23/07/2019

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा जैतारण, पटवार हल्का जैतारण, तहसील-जैतारण में वादिया की खरीदसुदा भूमि एवं प्रतिवादी संख्या एक से तीस की पैतृक पुश्तैनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 601 रकबा 45-10 बीघा किस्म चाही चारम, खसरा नम्बर 603 रकबा 09-06 बीघा किस्म चाही चारम कुल रकबा 54-16 बीघा की आई हुई है। जिसमें वादिया का खरीदसुदा 1/4 हिस्सा आया हुआ है। उक्त भूमि का बंटवाड़ा मौके पर किया हुआ है मौके पर वादिया व प्रतिवादीगण सभी अलग-अलग कब्जा व काश्त करते आ रहे है जमाबंदी व ट्रेस नक्शा की नकल साथ पेश है। वादिया ने खसरा नम्बर 601 रकबा 45-10 बीघा का 1/4 हिस्सा खातेदार भंवरलाल पुत्र चन्दा से दिनांक 12/06/2007 को खरीद किया व खसरा नम्बर 603 रकबा 09-06 के 1/4 हिस्से की सम्पूर्ण जमीन दिनांक 14/06/2007 को खरीद कर अपने नाम रजिस्ट्री करवाई गई खरीद माफिक वादीया के नाम खातेदारी की गई। बेचानकर्ता ने अपने हिस्से माफिक मौके पर कब्जा दे दिया। तब से लगातार वादिया का सम्पूर्ण भूमि में से 1/4 हिस्से पर कब्जा काश्त आ रहा है वादिया की उक्त खरीद सुदा भूमि के कब्जे अनुसार पड़ौस भी रजिस्ट्री में दर्ज है। खसरा नम्बर 601 रकबा 45-10 बीघा में से 1-13 बीघा गैर मुमकिन सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा वादिया की भूमि अवाप्त करने से वादिया के कब्जे में 1-13 बीघा भूमि कम रही। अन्य सह खातेदार की मौके पर राजमार्ग के लिए भूमि अवाप्त नहीं की गई। मौके पर वादिया के कब्जे की भूमि 1-13 बीघा राजमार्ग के लिए अवाप्त करने से कम रह गई है। इसलिए राजमार्ग के लिए वादिया के नाम ही मुआवजा राशि का चैक बनाने हेतु भूमि अवाप्ति अधिकारी श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली को लिखा जाना जरूरी है। वादिया का सम्पूर्ण भूमि में से 1/4 हिस्से की खरीदसुदा भूमि का बंटवाड़ा किया जाना जरूरी है क्योंकि मुतनाजा भूमि के चार हिस्सेदार होने से आये दिन माठ को लेकर विवाद रहता है वादिया अपने नाम से किसान क्रेडिड कार्ड बनाकर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए ऋण लेना चाहती है वादिया के 1/4 हिस्से के चारों तरफ तारबंदी की हुई है मौके पर वादिया के हिस्से की राजमार्ग संख्या-458 में खसरा नम्बर 601 में से 1-13 बीघा जाने से वादिया के कब्जे में जमीन कम है इसलिए मौके पर कब्जा अनुसार बंटवाड़ा किया जाना जरूरी है ताकि मौके पर कोई किसी प्रकार का विवाद नहीं करें। वादिया एवं प्रतिवादीगण के परिवार बडा होने से हर बात को लेकर विवाद रहता है। मौके पर रास्ते को लेकर विवाद रहता है। वादिया के द्वारा खरीदसुदा जमीन की रजिस्ट्री में मौके पर काबिज अनुसार पडौस लिख हुए होने से माफिक कब्जा व रजिस्ट्री में वर्णित पड़ौस अनुसार बंटवाड़ा किया जाना जरूरी है। वादिया एवं प्रतिवादीगण का परिवार बडा होने से जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद रहता है वादी के हिस्से की जमीन में से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-458 निकलने की वजह से राज्य सरकार द्वारा वादिया की हिस्से की व कब्जे की भूमि अवाप्त की गई। उसको लेकर इनके आपस में वाद विवाद होने से अवाप्त भूमि का चैक बनाने को लेकर भी आपस में आए दिन विवाद होने के कारण भूमि का मोके पर कब्जे अनुसार बंटवाडा किया जाना जरूरी है। तथा बंटवाडा करके राजस्व रेकर्ड में तरमीम किया जाकर खाता अलग अलग किया जाना जरूरी है। और किसी प्रकार की बाधा अड़चन अवरोध पैदा प्रतिवादीगण स्वयं व इनके परिवार के सदस्य नौकर चाकर हाली एजेन्ट आदि नहीं करे। एवं वादिया के 1/4 हिस्से की जमीन में से 1-13 बीघा राज्य सरकार द्वारा अवाप्त भूमि का मुआवजा बिना बंटवाड़ा किए प्रतिवादीगण के नाम का ही बनावें। अवाप्त भूमि के अवॉर्ड को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जावें। प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

संख्या 31 तहसीलदार जैतारण लैण्ड हॉल्डर होने व दावा बंटवाड़ा का होने से आवश्यक पक्षकार होने से प्रतिवादी बनाए गए है। वादिया का बिनाय दावा 05/09/2017 को प्रतिवादीगण द्वारा बंटवाड़ा करने से मना करने एवं अवाप्त भूमि का अवॉर्ड सभी के नाम बनाने की धमकी देने पर जैतारण में पैदा हुआ जो अदालतबाला के क्षैत्राधिकार में है व वाद अन्दर म्याद पेश है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन्नस् वास्ते जवाब दावा तलब किये गयें। प्रतिवादीगण 3 से 5, 8, 9 की और से वकालतनामा पेश हुये। प्रतिवादी सं. 1, 2, 6, 7, 11, 12 से 32 बावजुद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। लोक अदालत की भवाना से वकील प्रतिवादीगण मय प्रतिवादी संख्या 03 से 5 व 8, 9 ने जाहिर किया कि वादीया के पक्ष में राजस्व रेकर्ड हिस्से अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी कर वादीया के हिस्से की भूमि का बंटवाड़ा कराये जाने हेतु सहमत हैं। बहस वकुलाय सुनी गई।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र मय शपथ-पत्र, दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस वकील वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादी एवं प्रतिवादीगण वरूबे राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज हैं, लिहाजा वादीया के हिस्से की भूमि का बंटवाडा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाडा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि कि सरहद मौजा जैतारण, पटवार हल्का जैतारण, तहसील-जैतारण में वादिया की खरीदसुदा भूमि एवं प्रतिवादी संख्या एक से तीस की पैतृक पुश्तैनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 601 रकबा 45-10 बीघा किस्म चाही चारम, खसरा नम्बर 603 रकबा 09-06 बीघा किस्म चाही चारम कुल रकबा 54-16 बीघा वादीयां एवं प्रतिवादीगण की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आयी हुई है का बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाँउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी /नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2019/195 दिनांक 06/03/2019 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/2019/2163 दिनांक 08/04/2019 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई। बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान वकुलाय ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते।

-::आदेश::-

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीयां विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा जैतारण, पटवार हल्का जैतारण, तहसील-जैतारण में वादिया की खरीदसुदा भूमि एवं प्रतिवादी संख्या एक से तीस की पैतृक पुश्तैनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 601 रकबा 45-10 बीघा किस्म चाही चारम, खसरा नम्बर 603 रकबा 09-06 बीघा किस्म चाही चारम कुल रकबा 54-16 बीघा की भूमि में वादीयां एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा	किस्म	लगान (रूपये)
1	गीतादेवी पत्नी मोहनलाल भाटी कौम माली सा. आगेवा रोड़ जैतारण खातेदार।	601/1 601/2	10-00 3-06	चा.चा. चा.चा.	18.80 6.20
	योग	2	13-06		25.00

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

2	हरजी मदन पिता जगनाथ चम्पा पत्नी रतना दिनेश सुरेश पिता रतना मोहन पुत्र पुना हिस्सा 1/3 माधुलाल रूघाराम बद्रीलाल लाबुराम पिता गोपालराम हिस्सा 1/3 सुन्दर देवी बेवा भंवरलाल बाबुलाल सोहनलाल पिता भंवरलाल पानीदेवी बेवा अन्नाराम रामेश्वरलाल रामप्रकाश पिता अन्नाराम श्रीलाल नरेन्द्रसिंह रामप्रकाश राजुराम कमला चम्पा राजु पिता जसाराम जड़ाव बेवा जसाराम लाबु पिता घमण्डाराम घनश्याम सम्पत कंचनदेवी संतोषदेवी पिता मदनलाल चिमूड़ीदेवी पत्नी मदनलाल हिस्सा 1/3 कौम माली सा. आगेवा रोड़ जैतारण खातेदार रहन माधुलाल पुत्र गोपालराम का हिस्सा शाखा बैंक ऑफ बड़ौदा जैतारण।	601 603	30-11 9-06	चा.चा. चा.चा.	57.43 17.48
	योग	**2**	**39-17**		**74.91**

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय बंटवाड़ा रिपोर्ट की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जैतारण (पाली)
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 23/07/2019 को सरे ईजलाश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner